

# कार्यालय, अंचल अधिकारी, अड़की खूँटी।

आदेश फलक

जिला:- वाद सं०:- <sup>514 T.R</sup> 16.17 / 2020-21 सन्

विषय:- भूमि बन्दोवस्ती नियमितकरण करने के संबंध में।

|                         |                                |                                  |
|-------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| आदेश का क०सं० एवं तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश प की गई कार्रवाई : बारे में |
|-------------------------|--------------------------------|----------------------------------|

21/08/2020

जमाबंदीदार श्री/ श्रीमती मनका देवी पिता/पति श्री गुरुचरण लोध्य

मौजा अयबालालग थाना-अड़की, जिला खूँटी के नाम से पंजी -II पृष्ठ संख्या-


में दर्ज है। उक्त भूमि बन्दोवस्ती वाद सं०- 01 / 02-03 के आधार पर दर्ज है।

जमाबंदीदार सुयोग्य श्रेणी के अयबालालग के सदस्य है एवं भूमिहीन है। कायम जमाबंदी संदिग्ध है।

### भूमि की विवरणी:-

| मौजा            | थाना नं०   | खाता नं०   | प्लॉट सं०  | रकबा             |
|-----------------|------------|------------|------------|------------------|
| <u>अयबालालग</u> | <u>283</u> | <u>192</u> | <u>406</u> | <u>0.60 अकड़</u> |

सरकार के सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार का पत्रांक-06/भूमि का नियमितीकरण-89/2020-1704/रा० दिनांक:- 15.07.2020 में यथाविहित प्रावधानानुसार संबंधित राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक से जाँच प्रतिवेदन की मांग करें, पुनः अभिलेख दिनांक:- 31/08/2020 को उपस्थापित करें।


  
 अंचल अधिकारी  
 अड़की।

31/08/2020

अभिलेख उपस्थापित किया गया।/संबंधित राजस्व उप निरीक्षक का स्थल जाँच/भौतिक सत्यापन/ दखल-कब्जा संबंधी प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त हुआ है तथा सरकार के सचिव, राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार का पत्रांक:-06/ भूमि नियमितिकरण- 89/2020-1704/रा० दिनांक:- 15.07.2020 में यथाविहित प्रावधानानुसार भूमि के नियमितिकरण हेतु अनुशंसा किये हैं।


अतः संबंधित राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के स्थल जाँच/भौतिक सत्यापनोपरान्त/दखल-कब्जा एवं अनुशंसा के आधार पर जमाबंदीदार श्री/श्रीमती मनका देवी पिता/पति श्री गुरुचरण बोस मौजा अधाला लोहा थाना-अड़की, जिला-खूँटी के नाम से मौजा अधाला लोहा थाना नं० 283 खाता सं० 192 प्लॉट सं० 406 रकबा- 0.60 एकड़ लगान 3.45 रुपये अलावे शेष पर भूमि बन्दोबस्ती को नियमितिकरण की स्वीकृति दी जाती हैं

तदनुसार संबंधित राजस्व उप निरीक्षक को निदेश दिया जाता है कि पंजी-II में तदनुरूप ऑनलाईन प्रविष्टि करेंगे।

  
अंचल अधिकारी,  
अड़की।

अभिलेख उपस्थापित किया गया। संबंधित राजस्व उप निरीक्षक द्वारा मौजा अधाला लोहा थाना नं० 283 के पंजी- II भौलुम (VOL-.....) के पृष्ठ संख्या-.....पर ऑनलाईन प्रविष्टि कर आवश्यक सुधार कर लिया गया है।

अतः अभिलेख की कार्रवाई समाप्त की जाती हैं  
अभिलेख अभिलेखागार में जमा करें।

  
अंचल अधिकारी,  
अड़की।